राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध प्रार्थना पत्र संख्या–78 व 79/2015 जिला–अजमेर

उनवान : मैसर्स केसरिया प्रोसेसर,ब्यावर, अजमेर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवंचन,अजमेर एवं अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय,वाणिज्यिक कर,जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.10.2015	**खण्डपीठ** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** **श्री एम.एल.नेहरा,सदस्य** अपीलार्थी की ओर से श्री हेमन्त कुमावत,अभिभाषक व विभाग की ओर से श्री जमील जई, उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित। ये दोनों विविध प्रार्थना पत्र अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 669 व 672/2015/अजमेर में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 23.06.2015 के सन्दर्भ में प्रस्तुत किये गये हैं। माननीय खण्डपीठ द्वारा उक्त आदेश से प्रकरणों में रू. 36,02,107/– व रू. 1,59,42,346/–की वसूली योग्य राशियों पर स्थगन इस शर्त पर प्रदान किया गया था कि अपीलार्थी व्यवहारी कर निर्धारण अधिकारी के उनके सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत प्रस्तुत करेंगे और अपीलीय प्राधिकारी आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि माननीय खण्डपीठ के आदेश दिनांक 23.06.2015 की अनुपालना में आवश्यक एवं समुचित जमानत(necessary security) कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी है,किन्तु आज दिनांक तक उक्त अपीलें निस्तारण हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित है। अतः उन्होंने उक्त प्रकरणों में दिये गये स्थगन आदेशों को, अपीलीय अधिकारी के द्वारा उक्त अपीलों में अन्तिम निर्णय पारित करने तक, अवधि बढाने का निवेदन किया। विभाग की ओर से श्री जमील जई, उप राजकीय अभिभाषक द्वारा उक्त विविध प्रार्थना पत्रों के संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रकरणों में समयावधि बढ़ाने के संबंध में किये गये निवेदन पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं प्रकट की गयी । उभय पक्षीय बहस सुनी गयी । अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्रों पर विचार करने के पश्चात् न्यायहित में यह पीठ अनुभव करती है कि अपील संख्या 669 व 672/2015 में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 23.06.2015 में दिये गये स्थगन की अवधि 08.01.2016 तक बढायी जाती है तथा अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह दिनांक 08.01.2016 तक उक्त अपीलों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। इस आदेश की एक–एक प्रति अपील पत्रावली संख्या 669/2015 एवं 672/2015 /अजमेर में संलग्न की जावे। निर्णय सुनाया गया । (एम.एल.नेहरा) सदस्य (सुनील शर्मा) सदस्य	